


गणराज्य के न्यायालय  
आदि के दस्तावेज

329

205

**न्यायालय नगर राजस्व मण्डल व्वालियर सर्किट कोर्ट, रीवा (म० प्र०)**



Rs 30/-

Rs 286/16

मो० हफीज खां तनय मो० जमील खां सा० बिछिया बरगदवाली मस्जिद  
के पास बिछिया तहसील - हुजूर, जिला-रीवा (म० प्र०)

—निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म० प्र०

—गैर निगरानीकर्ता

श्री. अमनन्ददास शुक्ला  
द्वारा आज दिनांक 28.6.16 को  
प्रस्तुत किया गया।

*(Signature)*  
हैबर  
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 09.03.3016.  
द्वारा पारित अपी० न्याया० तहसीलदार  
महोदय नजूल प्र० कं० 09/अ/3/11-12  
मो० हफीज बनाम शासन म० प्र०

निगरानी अनतर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा०  
सं० 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं -

1. यह कि भूमि प्लॉट नं० 5179 एकवा 0.02 डि० मोहल्ला बिछिया रीवा में स्थित है जिसका मालिक प्लॉट स्वामी निगरानीकर्ता दर्ज नजूल रिकार्ड है।
2. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 129 म० प्र० भू० रा० सं० 1959 ई० का विधि अनुरूप अपी० रा० न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.2012. को प्रस्तुत किया था।

*(Signature)*  
28/6/16

*(Signature)*


मो० हफीज खां

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R. 5286 II/16..... जिला..... सीवा.....

..... मा० हकीम खां विरुद्ध..... शासन मण्डल.....

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... आनन्ददास शुक्ला..... अधिवक्ता द्वारा यह..... सहसिलदार..... सीवा..... के प्रकरण क्रमांक..... 09/31-12/2011-12..... में पारित आदेश दिनांक..... 09.03.16..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... सीवा..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक..... 26.03.19..... को कलेक्टर..... सीवा..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">             सदस्य         </p>	